**उत्तर प्रदेश शासन**

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2**

**संख्या-क0नि0-2/1041/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(136)-2015**

**लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2015**

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008 की धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में दिनांक 23 जुलाई, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते है:-

## संशोधन

उक्त अनुसूची-चार में, क्रम संख्या 3 एवं 4 (ग) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियॉ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

| क्रम संख्या | वस्तु का नाम एवं विवरण | कर का बिन्दु | कर की दर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | पेट्रोल | नि0/आ0 | 26.80 प्रतिशत या रू0 16.74 प्रति लीटर जो भी अधिक हो |
| 4(ग) | डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में परिभाषित है, क्रम संख्या-4(क) एवं 4(ख) मे वर्णित मामलों के अतिरिक्त | नि0/आ0 | 17.48 प्रतिशत या रू0 9.41 प्रति लीटर जो भी अधिक हो |

**आज्ञा से,**

**बीरेश कुमार**

**प्रमुख सचिव**

http://shasanadesh.up.nic.in/